न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प्र0सं. 01/2021 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार बनाम शिवभगवान पुत्र श्री बुधाराम जाति ब्राह्मण निवासी बुकनसर छोटा तहसील सरदारशहर

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बुकनसर छोटा ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **शिवभगवान पुत्र श्री बुधाराम जाति ब्राह्मण निवासी बुकनसर छोटा तहसील सरदारशहर** द्वारा रोही मौजा बुकनसर छोटा के खसरा नं0 172 तादादी 4.05 हक्टे. गैर मुमकिन गोचर में से 0.12 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से पक्का मकान व पट्टिया रोपकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया।नोटिस की अप्रार्थी स्वयं को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने अंकित किया कि मेरी भूमि पट्टेशुदा है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। हमने न्याय हित में अप्रार्थी को जवाब की सत्यता की पुष्टि हेतु स्वयं के आवासीय पट्टे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अप्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप स्वयं का आवासीय पट्टा प्रस्तुत न कर अन्य ग्रामवासियों के पट्टे की प्रति प्रस्तुत की जिसका कोई आधार नही रहता है।

हमने आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.09.2021 को अप्रार्थी को न्याय हित में पुनः अवसर देते हुए हल्का पटवारी को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवासीये पट्टों की जांच हेतु पुनः लिखा। प[illegible] हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उक्त आवासीय पट्टे [illegible] ग्रामवासियों के होना बताया और अप्रार्थी के पास कोई पट्टा होना नहीं बताया। पटवारी हल्का ने अंकित किया कि अप्रार्थी का खुद का कोई आवासीय पट्टा नहीं है और अप्रार्थी न्यायालय को गुमराह करने हेतु ऐसा कर रहा है।

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2021.12.21 16:02:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से स्वत: सिद्ध होता है कि अप्रार्थी का खसरा नं. 172 तादादी 4.05 हैक्टे किस्म गै.मुमकिन गौचर में से 0.12 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि भवष्यि में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे अतः नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट तथा हल्का पटवारी द्वारा पुनः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा बुकनसर छोटा के ख.नं. 172 तादादी 4.05 हैक्टे. गैर मुमकिन गोचर में से 0.12 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 12 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। भू.अ.नि. आसपालसर बड़ा को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से बेदखल करें तथा पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें व तहसील राजस्व लेखाकार से तावान की मांग कायमी करवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(हनुमान सिंह)
तहसीलदार
तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर

कार्यालय-तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2021.12.21 16:02:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner